(5)

प्रकरण संख्या : 56/2022
हरगोविन्द वगै. बनाम राजस्थान सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 26.12.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

ासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गोरा, (आर.ए.एस.)
रण संख्या	:	56/2022
यर दिनांक	:	18.10.2022
र्णय दिनांक	:	26.12.2023

उनवान

हरगोविन्द पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा
वीरसिंह पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा
राजाराम पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा
कम्पूरी पत्नी कल्याणसिंह जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा
नर्बदा पत्नी श्रीचन्द जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा
रामबाई पत्नी नाथूराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाडली तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
मांगीलाल पुत्र गंगाबिशन जाति बैरवा, निवासी ढाणी बरखेडा (बरखेडया) तन भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा
प्रभातीदेवी पत्नी डालचन्द जाति कोली, निवासी पीलू वाले बालाजी के पास देवरा मौहल्ला दौसा तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 28 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम पाडली हसील दौसा जिला दौसा के रहने वाले हैं। अप्रार्थी संख्या 1 राजस्थान सरकार भूमिधारक रिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा आवश्यक पक्षकार है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 र्थीगण की खातेदारी की भूमि के पडौसी खातेदारान हैं। अप्रार्थी संख्या 2 के पिता गाबिशन की मृत्यु हो चुकी है जिसकी विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 2 के नाम लना अभी शेष है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी की भूमि खाता संख्या या 35 खसरा नम्बर 270 रकबा 2.25 है. तथा प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम की ातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 272 रकबा 1.90 है. व सरा नम्बर 272/285 रकबा 0.71 है. वाके ग्राम जयपुरा पटवार हल्का जौपाडा भू भिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में र्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज हैं व मौके पर प्रार्थीगण मुताबिक माबन्दी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जो कि सम्वत् 2073 से 2076 की माबन्दी से प्रमाणित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी के पास ही अप्रार्थीगण संख्या व 3 की खातेदारी की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 प्रार्थीगण से प्रार्थीगण े खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 270, 272, 272/285 के संबंध में सीमा विवाद करते हते हैं। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के यहाँ अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान रवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदारजी दौसा द्वारा प्रार्थीगण के र्थना पत्र पर सीमाज्ञान करने के आदेश पारित फरमाये गये जिसकी पालना में पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

ल्का व गिरदावर हल्का ने मय टीम के दिनांक 13.06.2022 को प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि पर पहुँचे व उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया। इसके बाद प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 70, 272, 272/285 की सीमा बताई व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को उनकी खातेदारी की भूमि के सीमाचिह्न बताये व मौका पर्चा तैयार कर मौका पर्चा पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थीगण व मौके पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये गये। किन्तु आज दिन तक सीमाचिह्न के अनुसार मौके पर पत्थरगढी नहीं की गई जिससे उक्त सीमाचिह्न का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है तथा मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 व इनके उपकाश्तकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है क्योंकि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 बदनीयति से हर वर्ष हर काश्त के समय लडाई झगडे करते रहते हैं व मेड को हटा देते हैं एवं जबरदस्ती प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में घुसकर नई डोल कर देते हैं व प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करते हैं। दिनांक 27.09.2022 को प्रार्थीगण तहसीलदार दौसा के समक्ष उपस्थित हुए व पत्थरगढी कराने का निवेदन किया तब तहसीलदार दौसा द्वारा कहा गया कि एसडीएम साहब से आदेश लेकर आओ इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अविलम्ब प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढी नहीं करवायी गयी तो उक्त सीमाज्ञान करवाये जाने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा तथा मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 35 खसरा नम्बर 270 रकबा 2.25 है० तथा प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 272 रकबा 1.90 है० व खसरा नम्बर 272/285 रकबा 0.71 है० वाके ग्राम जयपुरा पटवार हल्का जौपाडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा का राजस्व टीम गठित कर जरिये पुलिस इमदाद मौके पर सीमाज्ञान 13.06.2022 की सीमा रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी कर सीमाएँ कायम करने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण, एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री विश्राम गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया।

प्रकरण में उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कथन किया। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 ने पत्थरगढी किये जाने में अपनी सहमति जतायी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम जैयपुरा तहसील दौसा जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 2.25 है० प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के नाम एवं खसरा नम्बर 272 रकबा 1.90 है० व खसरा नम्बर 272/285 रकबा 0.71 है० प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 3 ने पत्थरगढी किये जाने में अपनी सहमति जतायी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो, तो प्रार्थीगण की ग्राम जैयपुरा तहसील दौसा जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 2.25 है०, खसरा नम्बर 272 रकबा 1.90 है० एवं खसरा नम्बर 272/285 रकबा 0.71 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

(6)

केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)